



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 146 / प्र०३०-भवन / जौन-१ / 2011-12 दिनांक ११ / ११ / २०११

अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है। इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती पाशाली सोलंकी पत्नी श्री अजीत कुमार सोलंकी स्थल ७बी/८बी भूमि पर रोड इलाहाबाद जौन संख्या (१) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक/आवासीय मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिवेद्यों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (१) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. स्थल पर ०२ बृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल पर बोर्ड लगाकर संसाधित मानचित्र की स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट संख्या-24530 / 2010 में पारित अन्तर्रिम आदेश दिनांक ०६.०७.२०१० के अनुसार मा० न्यायालय के ओपेन एरिया पेनाल्टी के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश के प्रति विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किये जाने पर अथवा मा० न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में १५ दिन के अन्दर निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी।
6. स्थल का उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही करना होगा।
7. स्थल पर समर्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराकर इ०वि०प्र०० से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (९) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृति सेंट्रालिक होगी, जिसकी प्रकृति अस्थायी होगी। उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण करने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मानचित्र की अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Conditions से Material/ Substantial विचलन की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा इस आधार पर की गयी समस्त कार्यवाहियों अंकृत एवं शून्य समझी जायेगी।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ०वि०प्र०० द्वारा नियमानुसार उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
11. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किरी भाग (जो मकान के अगवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्थानी तैयार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी लॉन्स 1965) नियम ८२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनिवार्य घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

२०११-१२-२०११
(संसाधित)

संयुक्त सचिव/प्र०३०-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

१८

